Sahitya Samhita (साहित्य संहिता)
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

प्राकृतिक आपदाएं पर लेख

विशाल भगत

प्राकृतिक आपदा व्यापक तबाही की अचानक होने वाली घटना है जिसमें जीवन एवं संपत्ति दोनो को नुकसान पहुंचता है। यह स्थिति मानव, पर्यावरण और सामाज के विभिन्न क्रियाकलापों के प्रतिकूल है। प्राकृतिक आपदा मानवीय जीवन एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

- **पानी और जलवायु संबंधी आपदाएं:** चक्रवात, बवंडर और तूफान, ओलावृष्टि बादल फटना, भीषण गर्मी एवं शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा, बिजली कड़कना इत्यादि।
- **भूमि-संबंधी आपदाएं:** भूस्खलन, मिट्टी प्रवाह, भूकंप, बांध टूटना, खदानों की आग इत्यादि।

प्राचीन प्राकृतिक आपदाएं

दुनिया में सबसे खराब तूफान 1201 में मिस्र एवं सीरिया में आया था जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद 1556 में चीन में भूकंप से 8.50 लाख लोग मारे गए थे। भारत में सबसे बड़ा भूकंप 1737 में कलकत्ता में आया था जिसमें 3 लाख लोग हताहत हुए थे। सबसे अधिक भूकंप की आशंका वाले देशों में रूस, चीन, सीरिया, मिस्र, ईरान, जापान, जावा, इटली, मोरक्को, तुर्की, मेक्सिको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ग्रीस, इंडोनेशिया और कोलम्बिया शामिल हैं। हिमालय का क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि इस क्षेत्र में पृथ्वी की भीतरी चट्टानें तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में 10 खतरनाक ज्वालामुखी ऐसे हैं जो पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति (यूएनआईएसडीआर) के अनुसार, भारत प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से भू-जलवायु परिस्थितियों और उनके अंतर्निहित कमजोर ढांचे एवं इन कारणों की तीव्रता की वजह से एक नियमित अंतराल पर आती रहती हैं।

Sahitya Samhita (साहित्य संहिता)
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

भारत में प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले क्षेत्र

भारत के लगभग 59 प्रतिशत क्षेत्र भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र हैं और इनमें हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्र, पूर्वोत्तर, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र हैं।

भारत में भूकंप से मानव जीवन के लिए क्षति के आंकड़ों में शीर्ष स्थान पर 10 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पशुओं को इन आपदाओं में सबसे अधिक पीड़ित होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इन आपदाओं में मानव जीवन को सबसे अधिक क्षति होती है। इन चार राज्यों में घरों एवं फसलों की क्षति के आंकड़े भी सर्वाधिक है।

1999 में उड़ीसा में आया सुपर चक्रवात एवं 2001 में गुजरात का भूकंप सदी के अंतिम दशक में क्षति की गंभीरता की दृष्टि से सबसे विनाशकारी थे। 26 दिसम्बर 2004 को भारत के तटीय इलाकों में भूकंप आया जिससे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सुनामी आ गई। सुनामी जैसी आपदा का भारत में यह पहला अनुभव था।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं के अभी हाल के उदाहरण

- 2005 में भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आई बाढ़ ने पूरे शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया।
- 2008 में बिहार के सैकड़ों गांवों में कोसी नदी का सैलाब आया जिसमें गांव के गांव जलमग्न हो गए।
- अगस्त 2010 में जम्मू-कश्मीर के लेह में बादल फटने के कारण लगभग 113 लोग मारे गए।
- 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की वजह से 9.3-परिमाण का भूकंप आया था।
- 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी।

आपदाओं के मानव निर्मित कारण

ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

विकास और शहरीकरण के नाम पर अंधाधुंध परियोजनाएं चल रही हैं और इन सब से पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंच रही है। बिजली, पानी, पर्यटन और विकास के नाम पर पहाड़ियां क्षतिग्रस्त की जा रही हैं और पठारों में वन समाप्त हो रहे हैं। खनिजों के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन

देश में आपदाओं से निपटने एवं उन्हें कम करने के लिए तथा एक वंचित संस्थागत तंत्र के तहत पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संसद द्वारा आपदा प्रबंधन विधेयक 28 नवम्बर, 2005 को अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक को 23 दिसम्बर, 2005 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना का प्रावधान है। इसमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का भी प्रावधान है। साथ ही, इसमें आपातकालीन कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने का तथा प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव है। इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि तथा राज्य और जिला स्तरों पर भी समान कोषों के गठन का प्रावधान है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा इन सभी उपायों के बावजूद, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जागरूकता पहली शर्त है जिससे राहत पहुंचाने वाली एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल उपयोग में लाया जा सके। अगर लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता नहीं है तो भयानक विनाश राहत पहुंचाने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आपदा क्षेत्रों में लोगों को बचाव के लिए जरूरी बुनियादी जानकारी देकर जहां तक संभव हो सके आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। समुचित संचार-व्यवस्था, ईमानदार और प्रभावी नेतृत्व, नियोजन एवं समन्वय, आदि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।